कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/अराज/2023 1564 जबलपुर दिनांक/15/02/2023

//स्टाफ नर्स भर्ती सूचना//

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 803/स्था/अराज/2018, भोपाल दिनांक 20/09/2018 द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर में मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम-2018 द्वारा प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर में नर्सिंग आफिसर (स्टाफ नर्स) के रिक्त पदों पर म.प्र. शासकीय नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु निर्धारित शर्तो के अधीन आवेदन पत्र दिनांक 15/03/2023 सांय 05:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है।

सीधी भर्ती – नर्सिंग आफिसर (स्टाफ नर्स) (केवल महिला के लिए) - कुल 82 पद

सक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		संविदा		भूतपूर्व सैनिक		द्वियांग		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओप	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	00	18	00	01	00	05	00	00	24
2.	ई. डब्लू. एस.	00	00	00	00	00	03	00	02	05
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	06	00	01	00	04	00	02	13
3.	अनुसूचित जनजाति	00	04	00	06	00	07	00	02	19
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	12	00	02	00	07	00	00	21
	योग	00	40	00	10	00	26	00	06	82

वेतनमान - 5200 -20200+2800 ग्रेड पे (लेवल-7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-

स्टाफ नर्स	1. अभ्यार्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीवन विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. शासकीय बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशीक्षित। 3. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीयन।

नर्सिंग आफिसर (स्टाफ नर्स) के पद पर नियुक्ति हेतु निर्देश/शर्तें:-

1. शासकीय नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय की उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता एवं शासन द्वारा व्यय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए स्क्रूटनी में उपयुक्त पाये जाने पर नर्सिंग आफिसर (स्टाफ नर्स) की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित परिश्रमिक रूपये 10,000/- प्रतिमाह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात स्टाफ नर्स की परीक्षा ली जावेगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही अभ्यार्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा।

पद का नाम	वेतनमान
नर्सिंग आफिसर (स्टाफ नर्स)	शासन निर्देशानुमार वेतन देय होगा।

2. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगी।

3. वेतनमान एवं अन्य भत्ते:-

महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ शासन नियमानुसार लागू होगी।

e:\peb\2023\advertisement staff nurses.docx

15/2/23

4. आरक्षण:-

1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल और क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।

3. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यार्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश के राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो।

4. सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 26 दिनांक 19 जनवरी 2015 के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।

5. विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता प्रतिशत स्पष्ट दर्शाया गया हो, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अस्थि बाधित	अस्थि बाधित (45% to 50%) शरीर के निचले हिस्से की विकलांगता मान्य है।

6. उक्त पदों में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. सी5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार रहेगा।

7. उक्त पदों में भूतपर्व सैनिकों के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ-9-3/2012आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 22 सितंबर 2012 के अनुसार देय रहेगा।

8. उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

5. आवेदन शुल्क:-

अनारिक्षत वर्ग हेतु 1100/- (एक हजार रूपये) अन्य पिछड़ा वर्ग(केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 1000/- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु 900/- (नौ सौ रूपये) राशि का आर.टी.जी.एस. स्टेट बैक आफ इंण्डिया मेडिकल कॉलेज शाखा जबलपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के नाम देय से प्रस्तुत करना होगा। रसीद के पीछे अभ्यार्थी को अपना पूरा नाम, पता तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा।

6. आयु सीमा:-

1. अनारक्षित वर्ग हेतु	-न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम /मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/नि:शक्तजन /महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि हेतु	- न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)

नोट:- आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के आधार पर की जावेगी।

7. सामान्य शर्तें:-

1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

2. नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

3. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों का पूर्ण करते हो उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

15/2/23

4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करना होगा।

5. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

6. अधिष्ठात, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

7. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

8. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में मान्य होगा।

9. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

10. वैवाहिक स्थिति- एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।

11. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होंगी।

12. पुरूष तथा महिला स्टाफ नर्स की चयन सूची पृथक-पृथक तैयार की जावेगी।

13. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा। अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने के स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किये पद हेतु निर्धारति आवश्यकत न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियों में एक से अधिक आवेदक के लिए समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।

14. स्टाफ नर्स के पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लेवें।

8. निर्हतायें :-

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदों का अभियोजन किया जा सकेगा और या चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या तो उसे स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दियो जाएगा:-

1. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या

2. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या

3. भर्ती के लिये काई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या

4. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से काई हो:-

अ. पुरूष उम्मीदवा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसमने किसी ऐसे व्यकित् से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मासमाले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्यापत कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूटर दे सकता है।

ब. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए।

स. महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोष.सिद्ध नहीं पाए गए।

द. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि संतान से जीतिव रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

5. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

15/2/23

9. चयन प्रक्रिया (स्टाफ नर्स का वैटेज निम्नानुसार रहेगा) :-

Higher Secondary (12th) Percentage (%X0.2) (Max 20 Marks)	Bsc/GNM Percentage (%X0.5) (Max 50 Marks)	Bsc = 25 GNM =20	Msc = 05	Total=100

10. महत्वपूर्ण टीप:-

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एव महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें । इस संबंध में नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशें का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नही की जावेगी । साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए । यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदानुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

(डॉ. गीता [illegible])
अधिष्ठाता एवं मुख्य
कार्यपालन अधिकारी
नेताजी सुभाषचंद्र बोस
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

आवेदन का प्रारूप

(नोटः सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।)

»आवेदन शुल्क (अनारक्षित श्रेणी हेतु रू.1100/–, अजा,अजजा. हेतु 900/- अपिव एवं EWS के लिये 1000/-

» आवेदित पद का नाम :...

स्वप्रमाणित फोटो

1. आवेदक का नाम ....
2. पुरूष / महिला ....
3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित)..
4. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें)........ ....
   (दिनांक 01.01.2023 के अनुसार) आयु ....वर्ष .... माह .... दिवस
5. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)...
   ....
   मोबाइल नं................................ईमेलआईडी...
6. स्थाई पता..
   ....
   मोबाइल नं..
7. आधार कार्ड नम्बर ....
8. विवाहित / अविवाहित...........................विवाह होने पर संतानों की संख्या..........
   विवाह की तिथि ....
9. मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल का पंजीयन कमांक एवं दिनांक तिथि ....
10. **वर्गः अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग ....(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।**
11. शैक्षणिक योग्यताऐं :– (प्रमाण पत्र एवं अंकसूची को स्वप्रमाणित सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें) पद के अनुसार योग्यता अंकित करें।

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	कुल प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
1							
2							
3							
4							

(प्रत्येक वर्ष का पृथक–पृथक भरे)

12. शासकीय सेवा अनुभव :– छायाप्रति संलग्न करें।

क्रमांक	पदनाम	पद पर कार्यभार ग्रहण का दिनांक	अनुभव वर्ष / माह / दिन	सक्षम अधिकारी पदनाम
1				
2				
3				

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

13. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची **(स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)**। (जो भी लागू हो)।

1. जन्मतिथि के लिये कक्षा 10वी की अंकसूची।
2. कक्षा 12वी की अंकसूची।
3. संबंधित विषय में डिग्री / डिप्लोमा।
4. स्नातक अंकसूची प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / पंचम वर्ष।
5. स्नातक डिग्री।
6. स्नातकोत्तर अंकसूची प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ वर्ष।
7. स्नातकोत्तर डिग्री।
8. म.प्र नर्सिंग काउंसिल भोपाल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।

10. निर्धारित आयु के पूर्व विवाह न होने तथा 26.01.2001. के पश्चात तीसरी संतान न होने का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ–पत्र संलग्न करें।
   नोटः– (विवाहित / अविवाहित सभी अभ्यर्थियों हेतु अनिवार्य)।
11. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र।
12. स्थानीय निवास प्रमाण पत्र।
13. आय प्रमाण पत्र।
14. आधार कार्ड।
15. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संबंधित पद का कार्यानुभव।

»**आवेदन शुल्क** अनारक्षित श्रेणी हेतु-1100/- (ग्यारह सौ रूपये), अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति हेतु 900/- (नौ सौ रूपये), एवं अनय पिछडा वर्ग (केवल गैर क्रीमी लेयर) तथा अनारक्षित (आि्थक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिये 1000/- (एक हजार रूपये),

:–**आर.टी.जी.एस. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेडिकल कॉलेज जबलपुर**
{IFSC:-SBIN0001445} (Account. no. 10080130054) (N.S.C.B. Medical college Jabalpur) **के नाम से कर रसीद संलग्न करें। रसीद क्र एवं दिनांक** ....

:–अथवा डिमांड ड्राफ्ट **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर** के नाम देय से प्रस्तुत होगा, **डिमांड ड्राफ्ट की मूलतः संलग्न करें**।

//घोषणा पत्र//

1. मैं प्रमाणित करता / करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र / नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता / करती हूं कि मुझे नैतिक पतन के किसी भी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार को कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय मेंविचाराधीन है।

स्थान ....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक ....